सत्र 2021–22 के लिये कक्षा क्रमोन्नति नियम

(1) उत्तीर्णता नियमः–

1. विद्यार्थियों को उनकी दो सामयिक परखों, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्ताकों के योग को मिलाकर/एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांको के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जायेगा। कक्षा 9 एवं 11 में वही विद्यार्थी कक्षोन्नति/उत्तीर्ण का अधिकारी माना जायेगा, जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो। परन्तु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
2. जिन विषयों में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षाएं होती है उनमें अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई कृपांक अंक देय नहीं है।
3. दोनों परखों का योग, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जावे।
4. यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहां सामयिक परख नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर समिति बना एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर एक परख, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जायेगा।
5. अन्तिम परीक्षा परिणाम उन्ही विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होने कम से कम एक सामयिक परख तथा वार्षिक परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हो।
6. अतिरिक्त विषयों यथा कला शिक्षा, स्वास्थय एवं शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि विषयों में विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा के कुल 100 अंकों में से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर A+ से D तक ग्रेडिंग दी जानी है। यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो परन्तु अन्य विषयों में उत्तीर्ण है तो विद्यार्थी को D श्रेणी मानकर उत्तीर्ण कर दिया जाए।
7. राज्य सरकार द्वारा नवक्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख व परीक्षा हो चुकी हो उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णाकों के योग के आधार पर घोषित किया जायेगा।
8. राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर विलम्ब से प्रवेश लेने वाले (अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व) का परीक्षा परिणाम अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के पूर्णाक के आधार पर घोषित होगा।

(2) रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना :

1. यदि कोई विद्यार्थी (कक्षा 9 व 11) अपनी रूग्णावस्था के कारण किसी सामयिक परख अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं रहा है तो इसे उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह की समयावधि में रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. यदि कोई विद्यार्थी अन्तिम वार्षिक परीक्षा में स्वास्थ्य कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाता तो वह उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह की समयावधि में रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा।

(3) कृपांक :

1. कृपांक के लिए विद्यार्थी का आचारण एवं व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है। अधिकतम दो विषयों में कृपांक दिये जा सकते हैं।
2. कक्षा 9 एवं 11 में यदि विद्यार्थी एक विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5 प्रतिशत कृपांक दिए जा सकते है और यदि विद्यार्थी दो विषयों में असफल है तो प्रत्येक संबंधित विषय में उसके पूर्णांक के अधिकतम 2–2 प्रतिशत कृपांक दिये जा सकते है।
3. रूग्णावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक देय नहीं होंगे व उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(4) श्रेणी निर्धारण नियम :

1. 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर प्रथम श्रेणी।
2. 48 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर द्वितीय श्रेणी।
3. 36 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर तृतीय श्रेणी।
4. 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता (Distinction) मानी जायेगी। यहां D अंकित करना हैं।
5. अगर कोई विद्यार्थी चिकित्सा (सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर) में रहने के फलस्वरूप किसी सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ तो उसका श्रेणी/स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा ''विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है उनके पूर्णाक के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार श्रेणी/ कक्षा में स्थान का निर्धारण किया जायेगा।
6. श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृहद योग के आधार पर ही होगी। अर्थात श्रेणी निर्धारण करते समय कृपांक नहीं जोड़ें जावेगे।
7. पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंकतालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किये गये अंकों के साथ, पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंकतालिका जारी की जाये।

(5) पूरक परीक्षा नियम :

(अ) पात्रता :

1. पूरक परीक्षा अधिकतम किन्ही दो विषयों में दी जा सकेगी।
2. संबंधित विषय में कक्षा 9 व 11 में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णाकों का 25 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है।

(ब) परीक्षा आयोजन :– शिविरा पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोज्य होगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णांक माने जाएंगे।

(स) पूर्णांक :– प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जावेगा।

(द) परीक्षा उत्तीर्णता :– वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय/विषयों में 36 प्रतिशत अंक अलग–अलग प्राप्त किये हो। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक नहीं दिये जायेंगे।

(य) परीक्षा परिणाम :– शिविरा पंचांग मे निर्दिष्ट दिनांक पर पूरक परीक्षा परिणाम घोषित किया जावे।